



वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

वाराणसी विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित दिनांक 19.01.2025 को वाराणसी शहर में प्रकाशित न्यूज पेपर “,अमर उजाला, दैनिक जागरण, हिन्दुस्तान, राष्ट्रीय सहारा, जनसंदेश टाइम्स, तरुणमित्र न्यूज़, काशीवार्ता, न्यायाधीश, "समाचार पत्र कटिंग का विवरण।

अमर उजाला—दि0 19.01.2025

सोलर प्लांट लगवाने के निर्देश दिए


वाराणसी। वीडिए वीसी पुलकित गर्ग की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसमें उन्होंने विकास प्राधिकरण में कार्यरत नियमित, संविदा कर्मचारियों और समस्त पेंशनधारियों को अपने घरों पर सोलर प्लांट लगाने निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी का पंजीकरण कराए और जो रजिस्ट्रेशन न कराएं उनसे एक कारण पूछ कर फार्म जमा कर लें। ब्यूरो

दैनिक जागरण—दि0 19.01.2025

अवैध निर्माण पर नजर रखेंगे भूतपूर्व सैनिक

वाराणसी : वरुणा किनारे अवैध निर्माण हो रहे हैं। इस पर नजर रखने के लिए वीडिए ने भूतपूर्व सैनिकों की तैनाती की है। इन्हें सात जोन में जिम्मेदारी दी जाएगी। उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने शनिवार को पूर्व सैनिकों को निर्देश दिए। भूतपूर्व सैनिकों को स्वीकृत मानचित्र, दाखिल मानचित्र, सील प्रकरण, बकायेदार की संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराते हुए बिना सक्षम स्वीकृति हो रहे अवैध निर्माणों पर कार्रवाई को तैनात किया है। (जासं)





वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website: www.vdavns.com

दैनिक जागरण-दि 19.01.2025

वीडीए ने शुरू किया सात पार्कों का निर्माण

जार्स, वाराणसी : विकास प्राधिकरण ने अपनी अवस्थापना निधि से पिछले वर्ष 75 पार्क बनाने का निर्णय लिया था। इस पर लगभग 25 करोड़ की लागत आएगी। इसमें से सात पार्कों का निर्माण शुरू भी हो गया है। वीडिए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग की अध्यक्षता में शनिवार को इसे लेकर बैठक हुई।

इसमें बताया गया कि परियोजना के पहले चरण में 25 पार्कों को शामिल किया गया है। इसमें से जिन सात पार्कों का निर्माण शुरू हो गया है उसमें अशोक नगर कालोनी वी ब्लाक, महादेव नगर कालोनी, होली पार्क लालपुर वी ब्लाक, शंकरगुरी कालोनी, पत्रकारपुरम कालोनी, निराला पार्क, आफिसर्स कालोनी पार्क खुजुरी शामिल है।

दैनिक जागरण-दि 19.01.2025

बिना लेआउट स्वीकृत प्लानिंग को बीडीए ने किया ध्वस्त

जागरण संवाददाता, वाराणसी : विकास प्राधिकरण वाराणसी की टीम ने बिना ले आउट स्वीकृत कराए संदहा में की जा रही प्लानिंग को शनिवार को ध्वस्त कर दिया।

वीडीए के वार्ड सारनाथ के संदहा में चंद्रभान सिंह नामक कालोनाइजर बिना ले आउट प्लानिंग कर रहे थे। दो बीघा में ईट की बाउंड्री बनाकर प्लान काटे गए थे। सूचना मिलने पर जोनल अधिकारी प्रकाश कुमार, अवर अभियंता वर्तिका दूबे प्रवर्तन दल और पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे और कार्रवाई की।

दो मकान किए सील : वीडिए के वार्ड भेलूपुर में काशमीर सिंह व अन्य द्वारा और एकेएस व दीपक मिश्रा द्वारा रोहित नगर नरिया के सामने बिना मानचित्र स्वीकृत

- सारनाथ के संदहा में कालोनाइजर बिना लेआउट कर रहा था प्लानिंग
- चोरी-छिपे रुक-रुक कर रात्रि में हो रहा था निर्माण, किया गया सील

कराए अवैध रूप से निर्माण किया जा रहा था। इस कारण जोनल अधिकारी संजीव कुमार एवं अवर अभियंता सोनू कुमार के नेतृत्व में दोनों मकानों को सील कर दिया। दोनों निर्माण को नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम के तहत नोटिस जारी किया गया था। इसके बावजूद निर्माणकर्ता माने नहीं और चोरी-छिपे रुक-रुक कर रात्रि में निर्माण करते रहे।

हिन्दुस्तान-दि 19.01.2025

सख्ती: वीडिए ने सात अवैध निर्माण सील किए

वाराणसी। वीडिए ने शनिवार को शुद्धीपुर, गणेशपुर, शिवपुर में तीन अवैध निर्माण सील किये। शुद्धीपुर में 20 गुणा 20 वर्गफीट में बिना स्वीकृति निर्माण सील किया गया। तरना में अवैध निर्माण पर कार्यवाही की गई। सारनाथ वार्ड के उमरहां में 2 बीघा में अवैध प्लानिंग ध्वस्त की गई। इस मौके पर जोनल अधिकारी श्रीप्रकाश कुमार, अवर अभियंता वर्तिका दूबे रहे। उधर, प्रवर्तन टीम ने शनिवार को दशाश्वमेघ वार्ड में चार अवैध निर्माणों के विरुद्ध सीलिंग की कार्रवाई की।





वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website: www.vdavns.com

आज-दि 19.01.2025

वरुणा नदी अब भूतपूर्व सैनिकों के हवाले

विप्रा उपाध्यक्ष के निर्देश पर जोनवार की गयी तैनाती


विप्रा उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने अब वरुणा को भूतपूर्व सैनिकों के हवाले करने का निर्णय लिया है। इन सैनिकों को नियुक्ति कर विभिन्न जोनों में तैनाती की जायेगी। शुरू में सात उपजोन में भूतपूर्व सैनिक तैनात होंगे। जोन संख्या-१ में सिकरौली से गिलट बाजार-चौकाघाट जाने वाली मार्ग दक्षिणी वरुणा नदी तक जोन संख्या एक में ही सिकरौली से गिलट बाजार होते चौकाघाट तक एवं टकटकपुर से पाण्डेयपुर नदी के दक्षिणी क्षोर में ही, शिवपुर से जौनपुर जाने वाली सड़क मार्ग स्थित वरुणा नदी। जोन संख्या-२ वार्ड सारनाथ से अकथा तिराहे से होते हुए संदहा बाजार से गाजीपुर रोड होते हुए अकथा तिराहे से चंद्रा चौराहे बलुआ रोड पर वरुणा नदी के सीमा तक, आदमपुर से वरुणा नदी तक, जैतपुरा वरुणा नदी और जोन संख्या-३ में भदोही रेलवे लाइन से लहरतारा मोहनसराय रोड होते हुए भदोही रेलवे लाइन मार्ग पर स्थित वरुणा नदी के किनारे भूतपूर्व सैनिकों की तैनाती की गयी है। इसमें भूतपूर्व सैनिक रूप में विजय बहादुर सिंह, अनिल कुमार सिंह, संतोष यादव, शैलेश सिंह, जय शंकर यादव, उमाशंकर यादव की तैनाती की गयी। यह सैनिक क्षेत्र में किसी भी निर्माण को रोकने के लिए काररवाई करेंगे। स्वीकृत मानचित्र, दाखिल मानचित्र, सील प्रकरण, बिना सक्षम स्वीकृति के प्रभावी काररवाई करने के लिए तैनात किया गया है। साथ ही अवैध निर्माण पर रोक लगाने के साथ महायोजना-२०३१ वरुणा नदी के सामने ग्रीन बैल्ट का भी संरक्षण का कार्य इनको दिया गया है। इस प्रकार की पहली व्यवस्था वरुणा नदी के लिए की गयी है। सूत्रों के अनुसार असी नदी के निर्धारित किये गये सरकारी अभिलेख के अनुसार अवैध अतिक्रमण के खिलाफ काररवाई के लिए भूतपूर्व सैनिकों को तैनात किया जा सकता है।

आज-दि 19.01.2025

छह भवनों का निर्माण कार्य सीज

विप्रा उपाध्यक्ष के निर्देश पर शनिवार को वार्ड दशाश्वमेध में खजुरी के अंतर्गत भवन स्वामी श्वेताभ पाण्डेय और धनंजय सिंह ने बिना मानचित्र स्वीकृत कराये निर्माण कार्य कराया था। जानकारी के अनुसार भवन स्वामी होटल का निर्माण करा रहा था। श्वेताभ पाण्डेय और धनंजय सिंह बिना मानचित्र स्वीकृत के निर्माण करा रहे थे। इसी प्रकार विनोद कुमार सिंह भवन स्वामी बिना अनुमति के होटल का निर्माण करा रहे थे। जबकि डाक्टर दिनेश पटेल भी बिना अनुमति के हास्पिटल के निर्माण करा रहे थे। शिकायत के आधार पर जोनल अधिकारी सौरभ देव प्रजापति, अवर अभियंता रविंद्र प्रकाश मौके पर पहुंचे और कार्य कर रहे मजदूरों को भगाने के बाद चारो स्थानों पर भवनों का निर्माण सील कर दिया। सील करने के बाद अवर अभियंता ने निकटम थाने की प्रतिरक्षा में भवन को सौंप दिया। इसी क्रम में भेलपुर वार्ड के अंतर्गत भुखण्ड संख्या बी ३४/१३१ ए, बी ३४/१३१ ए.के.एस और बी ३३/३३ ए रोहित नगर नरिया बिना मानचित्र स्वीकृत किये निर्माण/कार्य करा रहे थे। सूचना के आधार पर विप्रा के अभियंताओं की टीम ने इसका निरीक्षण किया था और कार्य बंद कराने की नोटिस भवन स्वामियों को दी थी। लेकिन चोरी-छिपे अवकाश के दिनों में रात्रि के समय भवन स्वामी निर्माण कार्य करना जारी रखा। मौके का निरीक्षण करने के बाद जोनल अधिकारी संजीव कुमार, अवर अभियंता सोनू कुमार ने मौके पर पहुंचने के बाद निर्माण कार्य बंद कराया और भवन को सील करने के बाद स्थानीय थाने की प्रतिरक्षा में इसे सौंप दिया।





वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पत्रा लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website: www.vdavns.com

राष्ट्रीय सहारा-दि0 19.01.2025

वीडीए ने अवैध निर्माण ध्वस्त किया

वाराणसी। वीडिए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के निर्देश पर विकास प्राधिकरण जोन-दो की प्रवर्तन टीम ने अवैध प्लाटिंग के विरुद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की। सारनाथ वार्ड के थाना-चौबेपुर मौजा-संदहा उमरहा के अंतर्गत चंद्रभान सिंह की तरफ से बिना ले-आउट स्वीकृत कराए लगभग दो बीघा में अवैध प्लाटिंग विकसित की जा रही थी जिसे प्रवर्तन टीम एवं पुलिस बल के सहयोग से ध्वस्त किया गया।

होटल व अस्पताल समेत चार अवैध निर्माण सील

वाराणसी। वीडिए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के निर्देश पर विकास प्राधिकरण जोन-तीन की प्रवर्तन टीम ने कुल चार अवैध निर्माणों के विरुद्ध सील की कार्यवाही की। दशाश्वमेध वार्ड के खजुरी के अंतर्गत बिना मानचित्र स्वीकृत कराए श्वेताभ पाण्डेय और धनंजय सिंह 5000 वर्ग मी. में गोडाउन का अवैध निर्माण, विनोद सिंह के द्वारा 3000 वर्ग फीट में होटल का अवैध निर्माण, समर पटेल द्वारा 2500 वर्ग फीट में अवैध निर्माण तथा डॉ. दिनेश पटेल द्वारा हॉस्पिटल का अवैध निर्माण कराया जा रहा था। उक्त सभी चारों स्थलों को सील कर दिया गया।

राष्ट्रीय सहारा-दि0 19.01.2025

साढ़े छह करोड़ से संवारे जा रहे शहर के सात पार्क

वाराणसी (एसएनबी)। वीडिए की मंडलायुक्त की अध्यक्षता में चार जुलाई को हुई अवस्थापना निधि की बैठक में शहर में स्थित विभिन्न स्थानों पर कुल 75 पार्कों के सौंदर्यीकरण के कार्य को मंजूरी दी गई थी, जिसकी कुल लागत लगभग 25 करोड़ रुपये निर्धारित की गई थी। उक्त के संबंध में शनिवार को उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग की अध्यक्षता में बैठक की गयी। बैठक में पार्कों में पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था, पाथवे और पौधरोपण सहित अन्य सुधारात्मक कार्यों पर चर्चा की गयी। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के पहले चरण में 25 पार्कों को शामिल किया गया है, जिसके लिए छह करोड़ 65 लाख रुपये की निविदा जारी की गई है। वर्तमान में, वाराणसी के विभिन्न क्षेत्रों में सात पार्कों के सौंदर्यीकरण कार्यों की शुरुआत की जा चुकी है।



ये हैं सात पार्क


- ▶ अशोक नगर कॉलोनी बी ब्लॉक
- ▶ महादेव नगर कॉलोनी
- ▶ होली पार्क लालपुर बी ब्लॉक
- ▶ संकरपुरी कॉलोनी
- ▶ पत्रकारपुरम कॉलोनी
- ▶ निरालापार्क
- ▶ ऑफिसर्स कॉलोनी पार्क खजुरी

इन पार्कों में हो रहे कार्यों में आधुनिक प्रकाश व्यवस्था, त्रिक वर्क, प्लास्टर, पेंटिंग, इंटरलॉकिंग, हॉर्टिकल्चर, बोरिंग, बेंच, झूला इत्यादी जैसे कार्य प्रमुख रूप से किए जा रहे हैं। इन सुधारों के जरिए पार्कों को अधिक आकर्षक और उपयोगी बनाया जाएगा, जिससे स्थानीय निवासियों को बेहतर वातावरण मिलेगा और उन्हें सुबह-शाम की सैर का आनंद लेने में मदद मिलेगी। विकास प्राधिकरण इस परियोजना को समयबद्ध तरीके से पूरा करने में जुटा हुआ है और आने वाले दिनों में इस परियोजना के दूसरे चरण की शुरुआत भी की जाएगी। बैठक में सचिव डॉ. वेद प्रकाश मिश्रा, अपर सचिव गुडाकेश शर्मा, अपर सचिव परमानंद यादव तथा अधिशासी अभियंता अरविंद शर्मा उपस्थित रहे।



: cvdavns | Varanasi Development Authority, Janhit Service : janhit.upda.in, E-Tender : etender.up.nic.in

Online Building Plan Approval System : www.upobpas.in, Awast Bandhu, Govt of UP: www.awas.up.nic.in



वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website: www.vdavns.com

राष्ट्रीय सहारा—दि0 19.01.2025

वीडीए के क्षेत्र में अब अवैध निर्माण रोकेंगे पूर्व सैनिक

वाराणसी (एसएनबी)। वीडिए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के निर्देश पर वरुणा नदी के किनारे से संलग्न उप जोन में अनाधिकृत निर्माण पर अंकुश लगाने के लिए भूतपूर्व सैनिकों की तैनाती की गयी है। वीडिए उपाध्यक्ष की तरफ से तैनात किये गये भूतपूर्व सैनिकों को शनिवार को आवश्यक कार्यवाही के लिए बिदुवार निर्देश दिया गया। इन भूतपूर्व सैनिकों को अनिश्चित निर्माण होने पर प्रारम्भ में ही पूरी तरह बंद कराते हुए प्रभावी कार्यवाही करने का निर्देश दिया गया है। विकास प्राधिकरण द्वारा निम्नवत सात उपजोन में भूतपूर्व सैनिकों की तैनाती की गयी है।

जोन संख्या-01 के अंतर्गत वार्ड-सिकरौल में संत अतुलानंद गिलट बाजार चौराहा से चौकाघाट जाने वाली सड़क मार्ग के दक्षिण वरुणा नदी तक के समस्त क्षेत्र की निगरानी के लिए भूतपूर्व सैनिक विजय बहादुर सिंह को तैनात किया गया है। जोन संख्या-01 के अंतर्गत वार्ड-सिकरौल में संत अतुलानंद गिलट बाजार चौराहा से चौकाघाट जाने वाली सड़क मार्ग के उत्तर एवं टकटकपुर से पाण्डेयपुर जाने वाली सड़क के दक्षिण वरुणा नदी तक के समस्त क्षेत्र की निगरानी के लिए भूतपूर्व सैनिक अनिल कुमार सिंह को तैनात



किया गया है। जोन संख्या-01 के अंतर्गत वार्ड-शिवपुर में जौनपुर जाने वाले सड़क मार्ग के बांयी ओर वरुणा नदी के दांयी ओर के समस्त क्षेत्र की निगरानी

वीडीए उपाध्यक्ष के निर्देश पर पूर्व सैनिकों की हुई भर्ती

के लिए भूतपूर्व सैनिक संतोष यादव को तैनात किया गया है। जोन संख्या-02 के अंतर्गत वार्ड-सारनाथ में अकथा तिराहे से संदहा चौराहा होते हुये गाजीपुर रोड पर प्राधिकरण की सीमा तक तथा अकथा तिराहे से चंद्रा चौराहे से बलुआ रोड पर प्राधिकरण की सीमा के अंतर्गत वरुणा नदी तट तक के सम्पूर्ण क्षेत्र की निगरानी के लिए भूतपूर्व सैनिक राम प्रसाद को तैनात किया गया है। जोन संख्या-02 के अंतर्गत वार्ड-

आदमपुर के वरुणा नदी तक के सम्पूर्ण क्षेत्र की निगरानी के लिए भूतपूर्व सैनिक शैलेश सिंह को तैनात किया गया है। जोन संख्या-02 के अंतर्गत वार्ड-जैतपुरा के वरुणा नदी तक के सम्पूर्ण क्षेत्र की निगरानी के लिए भूतपूर्व सैनिक जय शंकर यादव को तैनात किया गया है। जोन संख्या-03 के अंतर्गत वार्ड-दशाश्वमेध में भदोही रेलवे लाईन के दक्षिण तरफ एवं लहरतारा से मोहनसराय रोड के दांयी तरफ का सम्पूर्ण क्षेत्र एवं भदोही रेलवे लाईन से वरुणा नदी का सम्पूर्ण क्षेत्र की निगरानी के लिए भूतपूर्व सैनिक उमा शंकर यादव को तैनात किया गया है। उपरोक्त तैनात भूतपूर्व सैनिक को पहचान पत्र भी जारी किया गया है। उक्त भूतपूर्व सैनिकों को क्षेत्रांतर्गत स्वीकृत मानचित्र, दाखिल मानचित्र, सील प्रकरण, बकायेदार इत्यादि की सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराते हुए बिना सक्षम स्वीकृति हो रहे अवैध निर्माणों पर प्रभावी कार्यवाही कराने के लिए तैनात किया गया है। उक्त तैनाती से वरुणा नदी से संलग्न उपजोन में अवैध निर्माण पर रोक लगेगी साथ ही महायोजना-2031 में वरुणा नदी किनारे नियत ग्रीन बेल्ट का भी संरक्षण सुनिश्चित किया जा सकेगा एवं शहर के धारणीय विकास को सही दिशा दी जा सकेगी।

राष्ट्रीय सहारा—दि0 19.01.2025

पीएम सूर्य योजना को लेकर बैठक

वाराणसी। वीडिए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने शनिवार को पीएम सूर्य योजना को लेकर बैठक का आयोजन किया। बैठक में सभी प्राधिकरण के कर्मचारीगण



जिनके निजी आवास वाराणसी शहर में है उन्हें पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत वाराणसी विकास प्राधिकरण में कार्यरत नियमित, संविदा तथा समस्त पेंशन धारी कर्मचारियों को अपने घरों पर सोलर प्लांट लगाए जाने के निर्देश प्रदान किए गए हैं, जिसके लिए वाराणसी विकास प्राधिकरण कार्यालय में रजिस्ट्रेशन कैंप नियमित लगाया जा रहा है। उपरोक्त कार्य की अद्यतन प्रगति की समीक्षा उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में सायंकाल 5.00 बजे से की गयी है, बैठक में समस्त अनुभागाध्यक्ष अपने अधीनस्थ वाराणसी विकास प्राधिकरण में कार्यरत नियमित एवं संविदा कार्मिकों के पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत पंजीकरण की सूचना एवं पंजीकरण न कराने वाले कार्मिकों के विषय में पंजीकरण न कराने के स्पष्ट कारणों की जानकारी मांगी है।



: cvdavns



Varanasi Development Authority, Janhit Service : janhit.upda.in, E-Tender : etender.up.nic.in

Online Building Plan Approval System : www.upobpas.in, Awast Bandhu, Govt of UP: www.awas.up.nic.in



वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website: www.vdavns.com

राष्ट्रीय सहारा-दि0 19.01.2025

अवैध निर्माण के खिलाफ सील व नोटिस की कार्रवाई

वाराणसी (एसएनबी)। वीडिए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग की तरफ से जोन-एक की प्रवर्तन टीम ने तरना क्षेत्र के अंतर्गत अवैध निर्माण के विरुद्ध सील की कार्यवाही के लिए निर्माणाधीन भवनों पर नोटिस की कार्यवाही की। सील बंद कराये गये निर्माणों का विवरण जोन एक वार्ड-शिवपुर के अंतर्गत राजू यादव, पंकज यादव पुत्र मोती लाल यादव द्वारा आराजी न. 84 मौजा सुद्धिपुर परगना शिवपुर में बिना स्वीकृति मानचित्र के निर्माण कार्य किये जाने पर अवैध निर्माण को सील किया गया। जोन एक वार्ड-शिवपुर के अंतर्गत बल्लार यादव द्वारा मौजा-गणेशपुर तरना परगना-शिवपुर जिला-वाराणसी में बिना स्वीकृति मानचित्र के निर्माण कार्य किये जाने पर अवैध निर्माण को

सील किया गया। जोन-एक वार्ड-शिवपुर के अंतर्गत मोहम्मद आलम द्वारा मौजा भेलखों परगना-शिवपुर में बिना स्वीकृति मानचित्र के निर्माण कार्य किये जाने पर अवैध निर्माण को सील किया गया।

निर्माणाधीन भवनों पर नोटिस का विवरण: वार्ड-शिवपुर के अंतर्गत अभिषेक द्वारा जयपुरिया स्कूल के पीछे चल रहे अवैध निर्माण पर नोटिस की कार्यवाही की गयी। जोन-एक वार्ड-शिवपुर के अंतर्गत आशीष सिंह द्वारा जयपुरिया स्कूल के पीछे चल रहे अवैध निर्माण पर नोटिस की कार्यवाही की गयी। जोन-एक वार्ड-शिवपुर के अंतर्गत वीरेंद्र प्रताप पुत्र तारा शंकर द्वारा मौजा- सबहियुर परगना- शिवपुर में हो रहे अवैध निर्माण पर नोटिस की कार्यवाही की गयी।

जनसंदेश टाइम्स-दि0 19.01.2025

अवैध प्लॉटिंग को वीडीए ने किया ध्वस्त




चौबेपुर। अवैध प्लॉटिंग पर वीडिए इन दिनों सख्त है। ऐसे निर्माणाधीनों को जहाँ जांच कर रही है, वहीं अभियान चलाकर ध्वस्तकरण की कार्रवाई भी हो रही है। इसको लेकर वीडिए की टीम पुलिस फोर्स के साथ शनिवार को चौबेपुरमें पहुंचा। जहाँ क्षेत्र के उमरहा गांव के समीप संदहा गांव निवासी चंद्रभान सिंह द्वारा विकसित किये जा रहे 2चौबे प्लॉटिंग को देखा और जानकारी हासिल की। इस दौरान टीम ने पाया कि अवैधप्लॉटिंग को जा रही है। वीडिए उपाध्यक्ष के निर्देश पर प्राधिकरण जोन-2की प्रवर्तन टीम ने अवैध रूप से विकसित किए जा रहे प्लॉटिंग को जहाँ बंद कराया, वहीं जेसीबी मशीन द्वारा उसे ध्वस्त कर दिया। इस अवसर पर जेनरल अधिकारी प्रकाश कुमार, अवर अभियंता चर्तिका टुबे, प्रवर्तन दल सहित चौबेपुर थाने की पुलिस मौजूद रही।



: cvdavns | Varanasi Development Authority, Janhit Service : janhit.upda.in, E-Tender : etender.up.nic.in

Online Building Plan Approval System : www.upobpas.in, Awast Bandhu, Govt of UP: www.awas.up.nic.in



वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पत्रा लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website: www.vdavns.com

काशीवार्ता-दि0 19.01.2025

वरुणा क्षेत्र में अब अवैध निर्माण रोकेंगे पूर्व सैनिक

वीडीए ने वरुणा जोन में 7 सैनिकों को दी जिम्मेदारी, मानचित्र और बकायेदारों की सूची सौंपी

वाराणसी (काशीवार्ता)। विकास प्राधिकरण द्वारा वरुणा नदी के किनारे स्थित उप-जोन में अनाधिकृत निर्माणों पर अंकुश लगाने के लिए भूतपूर्व सैनिकों की तैनाती की गई है। वीडीए उपाध्यक्ष द्वारा तैनात किए गए भूतपूर्व सैनिकों को आवश्यक कार्यवाही के लिए बिन्दुवार निर्देश दिए गए। इन सैनिकों को अनधिकृत निर्माण होने पर शुरुआत से ही रोक लगाने और प्रभावी कार्यवाही करने का आदेश दिया गया है। वीडीए द्वारा भूतपूर्व सैनिकों को पहचान पत्र भी जारी किया गया है। उन्हें क्षेत्र के स्वीकृत मानचित्र, दाखिल मानचित्र, सील प्रकरण तथा बकायेदारों की जानकारी प्रदान की गई है। बिना सक्षम स्वीकृत के हो रहे अवैध निर्माणों पर प्रभावी कार्यवाही करने के लिए उन्हें तैनात किया गया है। वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने बताया कि इससे वरुणा नदी के किनारे अवैध निर्माणों पर रोक लगेगी और महायोजना-2031 में वरुणा नदी के किनारे नियत ग्रीन बेल्ट का संरक्षण सुनिश्चित किया जा सकेगा।

7 उपजोन में इन भूतपूर्व सैनिकों की तैनाती



अधिकारियों संग बैठक करते वीडीए उपाध्यक्ष। काशीवार्ता

जोन संख्या-01 के वार्ड- सिकरौल - सन्त अतुलानन्द गिलट बाजार चौराहा से चौकाघाट जाने वाली सड़क मार्ग के दक्षिण वरुणा नदी तक के क्षेत्र की निगरानी हेतु भूतपूर्व सैनिक विजय बहादुर सिंह। जोन संख्या-01 के वार्ड- सिकरौल - सन्त अतुलानन्द गिलट बाजार चौराहा से चौकाघाट जाने वाली

सड़क मार्ग के उत्तर एवं टकटकपुर से पाण्डेयपुर जाने वाली सड़क के दक्षिण वरुणा नदी तक के क्षेत्र की निगरानी हेतु भूतपूर्व सैनिक अनिल कुमार सिंह। जोन संख्या-01 के वार्ड- शिवपुर जौनपुर जाने वाले सड़क मार्ग के बांयी ओर वरुणा नदी के दांयी ओर के समस्त क्षेत्र की निगरानी हेतु भूतपूर्व सैनिक संतोष

यादव। जोन संख्या-02 के वार्ड- सारनाथ अकथा तिराहे से संदहा चौराहा होते हुए गाजीपुर रोड तक एवं अकथा तिराहे से चन्द्रा चौराहे से बलुआ रोड पर प्राधिकरण की सीमा के अंतर्गत वरुणा नदी तट तक के क्षेत्र की निगरानी हेतु भूतपूर्व सैनिक राम प्रसाद। जोन संख्या-02 के वार्ड- आदमपुर वरुणा नदी तक के सम्पूर्ण क्षेत्र की निगरानी हेतु भूतपूर्व सैनिक शैलेश सिंह। जोन संख्या-02 के वार्ड- जैतपुरा वरुणा नदी तक के सम्पूर्ण क्षेत्र की निगरानी हेतु भूतपूर्व सैनिक जय शंकर यादव। जोन संख्या-03 के वार्ड- दशाश्वमेध भदोही रेलवे लाइन के दक्षिण तरफ एवं लहरतारा से मोहनसराय रोड के दांयी ओर के क्षेत्र एवं भदोही रेलवे लाइन से वरुणा नदी तक के क्षेत्र की निगरानी हेतु भूतपूर्व सैनिक उमाशंकर यादव को तैनात किया गया है।

न्यायाधीश-दि0 19.01.2025

विकास प्राधिकरण वाराणसी जोन-2 की प्रवर्तन टीम द्वारा अवैध प्लाटिंग के विरुद्ध किया गया ध्वस्तीकरण



वाराणसी। उपाध्यक्ष वाविप्रा द्वारा प्रदत्त निर्देश के क्रम में वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी जोन-2 की प्रवर्तन टीम द्वारा अवैध प्लाटिंग के विरुद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही सम्पादित की गयी। इसके तहत वार्ड- सारनाथ, थाना-चौबिपुर, मौजा-संदहा उमरहा के अन्तर्गत चन्द्रभान सिंह द्वारा बिना ले-आउट स्वीकृत कराए लगभग 2 बीघा में अवैध प्लाटिंग

विकसित की जा रही थी जिसे आज दिनांक 18/01/2025 को प्रवर्तन टीम एवं पुलिस बल के सहयोग से ध्वस्त किया गया। मौके पर जोनल अधिकारी श्री प्रकाश कुमार अवर अभियंता बर्तिका दूबे तथा प्रवर्तन दल सहित समस्त सुपरवाइजर व पुलिस बल उपस्थित रहे। उपाध्यक्ष वाविप्रा द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से ले-आउट स्वीकृत प्लॉट ही खरीदे तथा मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।




: cvdavns



Varanasi Development Authority, Janhit Service : janhit.upda.in, E-Tender : etender.up.nic.in

Online Building Plan Approval System : www.upobpas.in, Awast Bandhu, Govt of UP: www.awas.up.nic.in



वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पत्रा लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website: www.vdavns.com

न्यायाधीश-दि० 19.01.2025

जोन-4 की प्रवर्तन टीम ने की निर्माणों के विरुद्ध सील की



तहत वार्ड-भेलूपुर के अन्तर्गत काशमीर सिंह व अन्य द्वारा भूखण्ड सं० भवन सं०-बी-34/131 ए०, भवन सं०-बी-34/131 ए०के०एस०, तथा दीपक मिश्रा व अन्य द्वारा भूखण्ड सं० भवन सं०-बी-33/33-ए., भवन सं०-बी-33/33-ए, रोहित नगर नरिया के सामने बिना मानचित्र स्वीकृत कराए अवैध रूप से निर्माण किया जा रहा था, जिसके विरुद्ध पूर्व में 30प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा-27 के अंतर्गत कारण बताओ एवं धारा-28 के अन्तर्गत विकास कार्य

वाराणसी। उपाध्यक्ष वक्त्रा द्वारा 4 की प्रवर्तन टीम द्वारा 02 अवैध प्रदत्त निर्देश के क्रम में वाराणसी निर्माणों के विरुद्ध सील की विकास प्राधिकरण वाराणसी जोन- कार्यवाही सम्पादित की गयी। इसके

तरुणमित्र न्यूज-दि० 19.01.2025

वीडीए ने तैनात किये भूतपूर्व सैनिक जो रखेंगे अवैध निर्माण पर नज़र, लगाएंगे रोक

तरुणमित्र न्यूज

वाराणसी।

वाराणसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के निर्देश पर वरुणा नदी के किनारे से संलग्न उप जोन में अनाधिकृत निर्माण पर अंकुश लगाने हेतु भूतपूर्व सैनिकों की तैनाती की गयी है। उपाध्यक्ष वी०डी०ए० द्वारा तैनात किये गये भूतपूर्व सैनिकों को आज आवश्यक कार्यवाही हेतु बिन्दुवार निर्देश दिया गया। इन भूतपूर्व सैनिकों को अनाधिकृत निर्माण होने पर प्रारम्भ में ही पूरी तरह बन्द कराते हुए प्रभावी कार्यवाही कराने का निर्देश दिया गया है।



वीडीए वीसी पुलकित गर्ग बैठक में भूतपूर्व सैनिकों को उनके कार्यों के बाबत उन्हें अवगत कराते हुए

विकास प्राधिकरण द्वारा 7 उपजोन में भूतपूर्व सैनिकों की तैनाती की गयी है। उपरोक्त तैनात भूतपूर्व सैनिकों को पहचान पत्र भी जारी किया गया है। उक्त

भूतपूर्व सैनिकों को क्षेत्रान्तर्गत स्वीकृत मानचित्र, दाखिल मानचित्र, सील प्रकरण, बकायेदार इत्यादि की सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराते हुए बिना सक्षम स्वीकृति हो रहे अवैध निर्माणों पर प्रभावी कार्यवाही कराने हेतु तैनात किया गया है। उक्त तैनाती से वरुणा नदी से संलग्न उपजोन में अवैध निर्माण पर रोक लागेगी साथ ही महायोजना-2031 में वरुणा नदी किनारे नियत ग्रीन बेल्ट का भी संरक्षण सुनिश्चित किया जा सकेगा एवं शहर के धारणीय विकास को सही दिशा दी जा सकेगी।

